संख्या-45/2018/क0नि0-4-1038/11-2018-300(39)/18

प्रेषक,

अरविन्द कुमार,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

कमिश्नर ,
वाणिज्य कर,
उ0प्र0, लखनऊ।

कर एवं निबंधन अनुभाग-4 **लखनऊ: दिनांकः 17 सितम्बर, 2018**

विषयः- जनपद बाराबंकी में वाणिज्य कर कार्यालय भवन में मरम्मत/अनुरक्षण कार्य कराए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-स0नि0-बाराबंकी-874 भाग-2 (कार्या0भ0अनु0)/ 2018-19/496/वाणिज्य कर, दिनांक 29.08.2018 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 के बजट में वाणिज्य कर विभाग के विभागीय भवन तथा सहायता केन्द्रों के विभागीय भवनों की मरम्मत एवं रखरखाव कार्य हेतु प्राविधानित धनराशि रु0-10.00 करोड़ में से वाणिज्य कर कार्यालय भवन, बाराबंकी में फायर अलार्म एवं फायर फाइटिंग का रिपेयर एवं रिनोवेशन का कार्य कराए जाने हेतु रू0-54.25 लाख (रूपया चौवन लाख पच्चीस हजार मात्र) तथा वाणिज्य कर कार्यालय भवन, बाराबंकी में स्थित शौचालयों की दीवारों की सीलन, टूटे हुए शीशे एवं प्लम्बरिंग का कार्य कराए जाने हेतु रू0-22.47 लाख (रूपया बाईस लाख सैंतालीस हजार मात्र) का भुगतान कार्यदायी संस्था यू0पी0 स्टेट कॉन्स्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलेपमेंट कारपोरेशन लि0, बाराबंकी को किए जाने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(i) आहरित धनराशि बैंक/पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते में जमा नहीं की जायेगी।
(ii) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 30.03.2018 में वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में दी गयी व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
(iii) निर्माण/अनुरक्षण के समय कार्य की विशिष्टियाँ, मानक गुणवत्ता एवं समयबद्धता सुनिश्चित किए जाने का दायित्व कार्यदायी संस्था/आयुक्त, वाणिज्य कर का होगा।
(iv) प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिए है, उसी कार्य/मद पर व्यय किया जायेगा।

2- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-89 के अंतर्गत लेखाशीर्षक-2059-लोक निर्माण कार्य-01-कार्यालय भवन-051-निर्माण-03-वाणिज्य कर विभाग के विभागीय भवन तथा सहायता केन्द्रों के विभागीय भवनों की मरम्मत एवं रखरखाव का कार्य-29-अनुरक्षण के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,

(अरविन्द कुमार)
उप सचिव

संख्या- 45/2018/क0नि0-4-1038(i)/11-2018, तद्दिनाँक :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहबाद।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

2- निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
3- मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, बाराबंकी।
4- एडीशनल कमिश्नर (लेखा), वाणिज्य कर मुख्यालय, लखनऊ।
5- अधीक्षण अभियन्ता, यू0पी0 स्टेट कॉन्स्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलेपमेंट कारपोरेशन लि0, टी0सी0/46 अ, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9
7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अरविन्द कुमार)
उप सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।